



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092025-266016
CG-DL-E-09092025-266016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3961]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947

No. 3961]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2025

का.आ. 4076(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडु राज्य में बी.पी.सी.एल. इरुगुर टर्मिनल, कोयम्बतूर से देवनगोंदि टर्मिनल, बेंगलुरु तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से सम्बद्ध है या उसमें हित रखता है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन यथा जारी इस अधिसूचना की प्रतियां, जैसा कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है और जिसे आम जनता को उपलब्ध कराया जाता है, की तारीख से 21 दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में यदि कोई आक्षेप है तो वह उसे सक्षम प्राधिकारी, मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इरुगुर- देवनगोंदि पाइपलाइन, एस एफ नंबर 586/2, रावथुर पी ओ, कोयम्बतूर - 641103, तमिलनाडु राज्य को लिखित रूप में भेज सकेगा।

अनुसूची						
जिला : सेलम			राज्य : तमिलनाडु			
क्रम सं.	गांव का नाम	तालुक	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	नंगावल्ली	मेट्टुर	105/1अ	00	00	74
			105/1ब	00	03	14
			105/2ब1	00	05	64
			105/2क	00	00	63
			107/1ज4	00	00	80
			187/1	00	10	05
			200/1	00	11	48
			200/2अ	00	03	75
			200/2ब	00	41	08
			208/1	00	01	51

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2018-ओआर-I/ई-27006]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2025

S.O. 4076(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of petroleum products through BPCL Irugur Terminal, Coimbatore to Devangonhi Terminal, Bangalore Multi Product Pipeline Project in the State of Tamilnadu a pipeline should be laid by M/s Bharat Petroleum Corporation Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962,(50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Bharat Petroleum Corporation Limited, Irugur-Devangonhi Pipeline, SF No.586/2, Irugur, Ravathur PO, Coimbatore- 641103 in the State of Tamilnadu.

SCHEDULE						
District: - Salem				State :- Tamilnadu		
Sl.No.	Name of the Village	Taluk	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
1	Nangavalli	Mettur	105/1A	00	00	74
			105/1B	00	03	14
			105/2B1	00	05	64
			105/2C	00	00	63
			107/1J4	00	00	80
			187/1	00	10	05
			200/1	00	11	48
			200/2A	00	03	75
			200/2B	00	41	08
			208/1	00	01	51

[F. No. R-11025(15)/6/2018-OR-I/E-27006]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.